रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939
No. 139] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 1 मार्च, 2017

सं. टीएएमपी/63/2016–वीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, वीपीटी में 01-03-2011 से 31-03-2016 तक तापीय कोयला की श्रमिकों द्वारा उत्तरायी करने पर समय दर मजदूरी के 234 प्रतिशत की दर से पीस रेट मजदूरी लिए जाने की अभिपुष्टि के लिए विशाखापत्तनम न्यास(वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव के लिए एततद्वारा इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/63/2016-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ..... **आवेदक**

(i). श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(फरवरी 2017 के 8वें दिन जारी किया गया)

यह मामला, 01-03-2011 से 31-03-2016 तक वीपीटी में वैगनों से तापीय कोयला की श्रमिकों द्वारा उत्तरायी करने पर समय दर मजदूरी के 234 प्रतिशत की दर से पीस रेट मजदूरी लिए जाने की अभिपुष्टि के लिए विशाखापत्तनम न्यास(वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 20 सितंबर, 2016 के बारे में है।

2. इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/26/2010-वीपीटी दिनांक 18 जनवरी 2011 के अंतर्गत विशाखापत्तनम पत्तन न्यास(वीपीटी)पर कार्गो प्रहस्तन विभाग(सीएचडी) के श्रमिकों की तैनाती के लिए लेवी का अनुमोदन किया गया था।

3.1. समय दर मजदूरी पर 234 प्रतिशत की दर से लेवी के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश सं. टीएएमपी/26/2010-वीपीटी दिनांक 18 जनवरी 2011 के पैरा नं. 12(**ix**) का उद्धरण प्रस्तुत किया जाता है:

"हमारे द्वारा तैयार की गई संशोधित लागत विवरण में प्रतिबिंबित/प्रदर्शित लागत स्थिति का सार संक्षेप नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये)

वर्ष	***समय दर मजदूरी***	***निबल घाटा***	***निबल घाटा समय दर मजदूरी के प्रतिशत रुप में***
2010-11	*1836.99*	*(-)5244.23*	*(-) 285%*
2011-12	*1976.40*	*(-)5004.77*	*(-)253%*
2012-13	*2144.80*	*(-)4945.40*	*(-)231%*
2013-14	*2327.83*	*(-)5063.36*	*(-)218%*
2010-11 (मार्च 2011 से 2013-14 तक) की अवधि के लिए कुल योग	***6602.12***	*(-)15450.55*	*(-) 234% **औसत.***

इस मामले में अनुमोदित लेवी जब तक प्रभावी की जाएगी/लागू की जाएगी तब तक वर्ष 2010-11 समाप्ति पर आ चुका होगा। इसलिए, विशेष लेवी का निर्धारण करने के लिए वर्ष 2010-11 का अनुपातिक घाटा और ग्यारह माह के दौरान अर्थात 01 अप्रैल 2010 से 28 फरवरी 2011 तक पत्तन द्वारा वसूल की गई लेवी आय पर विगत अवधि के भाग के रुप में विचार किया गया है।

उपर्युक्त के आधार पर मार्च 2011 और 2011-12 से 2013-14 तक के वर्षो के लिए रू.15450 लाख के कुल अनुमानित घाटे पर लेवी निर्धारण के लिए विचार किया जाता है । लागत विवरणी के अनुसार रू. 15450 लाख के घाटे की भरपाई करने के लिए लेसवी टाइमरेट वेजेज़ का 234 प्रतिशत है। इस प्रकार सीएचडीके लिए लेवी टाइम रेट वेजेज़ का 234 प्रतिशत प्रदान की गई है।

पत्तन ने स्पष्ट किया है कि तापीय कोयले के वैगन उतारने संबंधी प्रचालनों में लगाए गए कर्मचारियों(श्रमिकों) के मामले में सामान्य लेवी के अतिरिक्त सामान्य लेवी के बराबर एक अलग लेवी प्राप्त की जा रही है जिसे विलय के समय से प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार पीसरेट लेवी कहा जाता है। पीस रेट लेवी के नाम में अलग लेवी प्राप्त करने का पत्तन द्वारा कोई तक और आधार नही बताया गया है । प्रस्ताव में भी पत्तन ने तापी कोयले पर स्पष्ट तौर पर पीआर लेवी प्रस्तावित नहीं की है । सिर्फ इतना ही बताया है कि इसे प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार(और) बिना किसी अन्य व्याक्ष्या के प्राप्त किया जाएगा। लागत विवरणी के अनुसार घाटे को पूराकरने के लिए लेवी टाइम रेट वेजेज का 234 प्रतिशत है जो वैगन उतारने संबंधी प्रचालनों के लिए सीएचडी से श्रमिकों तैनाती प्राप्त करने वाले तापीय कोयले समेत सभी प्रकार के कोयले पर समान रुप से लागू होगा।

टाईम रेट वेज के 234 प्रतिशत पर लेवी श्रमिकों को देय टाइम रेट और पीस रेट की वसूली के अतिरिक्त है जो सीएचडी से श्रमिकों की तैनाती के लिए व्यापार जगत से प्राप्त की जाती है।

3.2. **कथित आदेश में प्राधिकरण द्वारा लागत स्थिति के आधार पर निम्न अनुमोदन किया गया था :**

"**अनुसूची 4.7.4 - कार्गो प्रहस्तन प्रभाग से कार्गो प्रहस्तन कामगारों की सेवाएं लेने के लिए लेवी-**.

4.7.4.1. समय दर मजदूरी पर लेवी

विवरण	**समय दर मजदूरी पर लेवी का प्रतिशत**
कार्गो प्रहस्तन प्रभाग से तापीय कोयला को वैगनों से उतारने सहित सभी प्रकार के कार्गो प्रहस्तन हेतु कामगारों की सेवाएं लेने के लिए ।	234%

नोट:

1. **ऊपर दी गई लेवी श्रमिकों को देय टाइम रेट और पीस रेट की वसूली के अतिरिक्त है जो श्रमिकों को मजदूरी व्यवस्था/प्रोत्साहन स्कीम में दिए गए खंडों के अनुसार देय होती है।**
2. **उपर्युक्त लेवी स्टीवडोर्स द्वारा वीपीटी को देय होती है।**

4.7.4.2. विशेष लेवी

विवरण	**समय दर मजदूरी पर अतिरिक्त विशेष लेवी का प्रतिशत**
कार्गो प्रहस्तन प्रभाग से तापीय कोयला को वैगनों से उतारने सहित सभी प्रकार की कार्गो प्रहस्तन कामगारों की सेवाएं लेने के लिए	31%

नोट:

उपर्युक्त निर्धारित विशेष लेवी ऊपर कार्गो प्रहस्तन के लिए सीएचडी से कामगारों की तैनाती के लिए अनुसूची 4.7.4.1 में निर्धारित लेवी के अतिरिक्त होगी ।

4. उपर्युक्त अनुसूची, तत्पश्चात, इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी दिनांक 18 फरवरी, 2011 के अंतर्गत अनुमोदित वीपीटी के दरमानों के सामान्य संशोधन आदेश में शामिल की गई ।

5. वीपीटी ने प्रशुल्क नीति, 2015 के अंतर्गत दरमानों में संशोधन के लिए हाल ही के सामान्य संशोधन प्रस्ताव में, दरमानों के सामान्य संशोधन के भाग के रूप में सी.एच.डी. के संशोधन को भी शामिल किया है तथा आकलित एआरआर में सी.एच.डी. भी शामिल है । वीपीटी ने समय दर मजदूरी को 234 प्रतिशत से घटा कर 150 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया था। प्राधिकरण ने अपने हाल ही के सामान्य संशोधन आदेश सं. टीएएमपी/9/2016–वीपीटी दिनांक 21 जून, 2016 में, पतन द्वारा प्रस्तावित लेवी को अनुमोदन प्रदान किया है ।

6.1. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि कथित सामान्य संशोधन आदेश पर कार्रवाई करते समय टीएएनजीईडीसीओ ने कहा था कि वीपीटी वर्तमान में (उस समय) समय-दर मजदूरी पर 234 प्रतिशत तथा 234 प्रतिशत पीस रेट मजदूरी +31 प्रतिशत विशेष लेवी वसूल कर रहा है । इनका कुल योग 499 प्रतिशत हो जाता है । टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. ने प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि वह वीपीटी को, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लेवी के सिवाय कोई अन्य लेवी वसूल न करने के निदेश दे । टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. ने इस मामले को 07 अगस्त, 2015 और 16 सितंबर 2015 के पत्र में भी उठाया था जिसके हमारे 18 अगस्त, 2015 और 24 सितंबर, 2015 के पत्रों के अंतर्गत वीपीटी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था ।

6.2. वीपीटी के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव पर कार्रवाई के दौरान, टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. द्वारा उठाए गए मुद्दे के संदर्भ में प्राधिकरण के दिनांक 21 जून, 2016 के आदेश कै पैरा 18 (xvii) (ख) में उल्लेखित है कि :-

"(ख) टीएएनजीईडीसीओ ने उल्लेख किया है कि वीपीटी वर्तमापन में 234 प्रतिशत की दर से कालानुपाती मजदूरी दर और फुटकर मजदूरी दर पर 234 प्रतिशत + 31 प्रतिशत लेवी वसूल रहा है। इस प्रकार यह कुल मिलाकर यह 499 प्रतिशत हो जाती है। टीएएनजीईडीसीओ ने अनुरोध किया है कि प्राधिकरण वीपीटी को निदेश दे कि वह प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रकार की कोई लेवी न ले । यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि टीएएनजीईडीसीओ ने यही मामला अपने 07 अगस्त 2015 और 16 सितंबर 2015 के पत्रों के माध्यम से पहले भी उठाया था जो हमारे 18 अगस्त 2015 और 24 सितंबर के पत्रों के माध्यम से वीपीटी को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिए गए थे। अब टीएएनजीईडीसीओ ने वर्तमान प्रस्ताव में मामले को पुन: उठाया है।

पत्तन ने वर्तमान प्रस्ताव में प्राधिकरण से वीपीटी द्वारा लगाई गई 499 प्रतिशत लेवी को नियमित करने का अनुरोध किया है । वीपीटी ने उल्लेख किया है कि यह संयुक्त सुनवाई के दौरान हुई चर्चा के मद्देनज़र किया जा रहा है और सभी पक्ष पिछली लेवी 499 प्रतिशत और भविष्य में लेवी 150 प्रतिशत पर सहमत हो गए हैं। जहां तक वीपीटी के

उपयुक्त मुद्दे का प्रश्न है यह कहना सुसंगत होगा कि संयुक्त सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का रिकार्ड (नोट) जब टीएएनजीईडीसीओ ने संयुक्त सुनवाई के दौरान कहा कि वीपीटी सीएचडी के लिए कालानुपाती मजदूरी पर 234 प्रतिशत तथा फुटकर मजदूरी पर 234 प्रतिशत+31 प्रतिशत विशेष लेवी वसूल रहा है तो पत्तन ने 499 प्रतिशत लेवी की जांच करना स्वीकार कर लिया और उत्तर देने पर सहमत हो गया। वीपीटी की लेवी दर को नियमित करने पर पक्षों की सहमति संबंधी कोई तथ्य परक अभिलेख रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

यह कहना सुसंगत होगा कि वीपीटी के प्रचलित दरमानों के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा कालानुपाती मजदूरी पर अनुमोदित लेवी 234 प्रतिशत है। इस संबंध में एसओआर में कोई संदेह नही है। कालानुपाती मजदूरी दर के अतिरिक्त फुटकर दरों पर वीपीटी द्वारा 234 प्रतिशत वसूल करना प्रचलित दरमानों में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क के अनुरुप नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि वीपीटी ने किस प्रशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत फुटकर दर पर 234 प्रतिशत अतिरिक्त लेवी के तौर पर वसूल किए हैं। क्योंकि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालानुपाती मजदूरी दर पर 234 प्रतिशत की लेवी 18 जनवरी 2011 के आदेश में सीएचडी के लिए प्राप्त की गई लागत स्थिति पर आधारित है इस लिए फुटकर मजदूरी दर पर 234 प्रतिशत की लेवी की वसूली को नियमित करने का अनुरोध कथित आदेश में अनुमोदित लेवी के अनुरुप नहीं है। और ऐसा करना कथित आदेश में अनुमोदित कालानुपाती मजदूरी दर पर 234 प्रतिशत की लेवी को ठठेरने(टिंकरिंग) जैसा होगा। उपर्युक्त स्थिति के अनुसार यह प्राधिकरण वीपीटी द्वारा की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि या समर्थन या वीपीटी द्वारा वसूल की गई लेवी को नियमित करने की स्थिति में नहीं है जो वीपीटी के प्रचलित दरमानों में निर्धारित और अनुमोदित सीएचडी लेवी के अनुरुप नहीं हैं। वीपीटी और टीएएनजीईडीसीओ यदि आवश्यक समझे तो टीएएनजीईडीसीओ द्वारा विवादित पिछले मामले पर आपसी सहमति से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।"

7. प्राधिकरण के 10 अगस्त, 2016 के सामान्य संशोधन आदेश जारी करने के पश्चात टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. ने 03 सितंबर, 2016 को वीपीटी को लिखे एक पत्र (प्रति प्राधिकरण को प्रेषित) में निम्न उल्लेख किए हैं : -

(i). वीपीटी को 7 अगस्त, 2015 और 16 सितंबर, 2015 के पत्रों में, टीएएजीईडीसीओ की ओर से कामगारों द्वारा वेगनों से कोयला उतारे जाने पर समय दर मजदूरी पर पीस रेट मजदूरी : 234 प्रतिशत वसूली बंद करने के बारे में तथा 01.03.2011 से की गई वसूली वापस करने के लिए कहा गया था क्योंकि इसके लिए वे अधिकृत नहीं थे और ऐसा करना प्राधिकरण के अनुरूप नहीं था।

(ii). उपर्युक्त विषय, प्राधिकरण की जानकारी में पत्र सं. सीई/एम/कोल/एसई/सीएच/ई-2/ए-4/एफपीओ 49/डी- 79/2015 दिनांक 17 नवंबर, 2015 को लाया गया था। प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. टीएएमपी / 50 / 2015–वीपीटी दिनांक 22 दिसंबर, 2015 को वीपीटी से अनुरोध किया कि वह टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. के उल्लेखों की जांच करें।

(iii). प्राधिकरण ने 10 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 320 के द्वारा विशाखापतनम पतन न्यास के दरमानों में सामान्य संशोधन के प्रस्ताव के बारे में युक्तियुक्त –स्पीकिंग आदेश अधिसूचित करके प्रस्ताव का निपटान किया।

(iv). टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. ने कथित आदेश के पैरा 18 (XVII) (ख) का उल्लेख करते हुए पुन: कहा है उसे वीपीटी को 1.3.2011 से भुगतान की गई 234 प्रतिशत पीसी रेट लेवी की वापस लेनी होगी।

(v). मैं साऊथ इंडिया कार्पोरेशन लि. (एसआईसीएल) और वीपीटी से टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. के द्वारा कामगारों द्वारा वैगनो से उतारे गए कोयले के लिए समय दर मजदूरी पर 234 प्रतिशत पीस रेट मजदूरी को बंद करने तथा 01.03.2011 से वसूल की गई पीस रेट मजदूरी एसआईसीएल (ठेकेदार) को लौटाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि ये प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुरूप नहीं है।

8. प्रत्युत्तर में, वीपीटी ने 20 सितंबर, 2016 के पत्र द्वारा 01 मार्च, 2011 से 31 मार्च, 2016 तक, कामगारों द्वारा तापीय कोयला उतारे जाने के बारे में समय दर मजदूरी पर 234 प्रतिशत की दर से पीस रेट मजदूरी लेने को अभिपुष्ट करने का अनुरोध किया है। वीपीटी द्वारा उल्लेखित मुख्य बिंदुओ का सारांश इस प्रकार है : -

(i). वीपीटी ने दरमानों में संशोधन के लिए 30.12.2015 के प्रस्ताव में एक प्रस्ताव दिया है । प्राधिकरण द्वारा 18.03.2016 को सुनवाई करके 21.06.2016 को आदेश पारित करते हुए 22.07.2016 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। तापीय कोयला के उत्तरायी कार्यों में सी.एच.डी. द्वारा 234 प्रतिशत पीआर लेवी लेने के संबंध में 18.03.2016 को आयोजित बैठक में पतन द्वारा ऐसी लेवी की वसूली पर जिसमें विस्तृत चर्चा हुई थी, की ओर ध्यान दिलाया जाता है। प्राधिकरण ने पैरा 18 (xvii) (ख) पर उल्लेखित आदेश जारी करते समय उल्लेख किया था कि यदि आवश्यक हो तो वीपीटी और टीएएनजीईडीसीओ दोनों परस्पर सहमति से टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. द्वारा उठाए गए पिछले मुद्दे को सुलझाने संबंधी प्रस्ताव दे सकते हैं।

(ii). इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. का पतन के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है । तापीय कोयला की उतरायी कार्य साऊथ इंडिया कार्पोरेशन लिमिटिड द्वारा किया जा रहा है जो पोतीय मजदूर की तरह है तथा पतन को सभी प्रभारों का भुगतान कर रहा है और तापीय कोयला प्रहस्तन करने के लिए पतन के साथ सीधे संपर्क रखने वाला केवल एक यही स्टीवडोर्स है। सभी घटकों और 18.03.2016 को आयोजित बैठक में हुई चर्चा पर विचार करते हुए तापीय कोयला पर यह लेवी 499 प्रतिशत से घटा कर 150 प्रतिशत कर दी गई है।

(iii). तथापि, प्राधिकरण द्वारा आदेश में दर्ज स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सी.एच.डी. का इतिहास और लेवी लगाने संबंधी परिस्थितियों और आवश्यकताओं का विवरण विचारार्थ प्रस्तुत है :-

(क) सी.एच.डी. को चलाने के लिए आय का एक मात्र स्रोत, नियोक्ताओं से विभिन्न कार्गो पर लेवी वसूल करना है।

(ख) तत्कालीन विशाखापतनम डॉक लेबर बोर्ड (वीडीएलबी) (अब सी.एच.डी.) द्वारा ऐसी लेवी लेने का प्रमुख उद्देश्य कार्गो प्रहस्तन प्रभार तथा कर्मचारियों / कामगारों को प्रदान की गई सुविधाओं व उनके कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रशासकीय प्रभार के व्यय को पूरा करना है । सी.एच.डी. केवल ऐसी ही वसूली / करों से संचालित है।

(ग) सी.एच.डी. को संचालित करने की लागत, ऐसे पंजीकृत नियोक्ताओं द्वारा ऐसी लेवी को भुगतान से चुकता होगी । प्रत्येक नियोक्ता, ऐसे व्यय के लिए सी.एच.डी. को, समय समय पर निर्धारित लेवी का भुगतान करना होगा।

(घ) इसके अलावा, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार तत्कालीन वीडीएलबी अर्थात वर्तमान सी.एच.डी. ने बोर्ड के संकल्प सं. 36/2003 दिनांक 30.07.2003 के अंतर्गत न लाभ न हानि के सिद्धांत पर प्रचालन के लिए मुद्दे को सुलझा लिया है।

(ड) **वी.डी..एल.बी.** के 08.09.2008 और 11.09.2008 को को मंत्रालय के पत्र दिनांक 19.02.2008 के अंतर्गत प्रदत्त पिछले अनुमोदनाधीन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत निर्णयाधीन 26.09.2008 से वीपीटी में विलयन कर दिया गया जिसे तत्कालीन वीडीएलबी बोर्ड, वीपीटी बोर्ड और पोत परिवहन मंत्रालय ने अपना अनुमोदन प्रदान किया और भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया ।

(च) इस कथित विलयन सहमति में यह माना गया कि सी.एच.डी. स्वत: ही आत्मनिर्भर होगा तथा इसका राजस्व पंजीकृत पोतीय मजदूरों (स्टीवडोर्स) के बिलों से प्रतिपूरित किया जाएगा । जहां तक लेवी लगाने का संबध है यह भी सहमति हुई कि डॉक लेबर बोर्ड दैनिक प्रबंधन और अन्य कल्याणकारी कार्यो के लिए कामगारों को काम के एवज में प्रदत्त दैनिक मजदूरी की वसूली के अतिरिक्त दैनिक मजदूरी दर पर लेवी वसूल कर के की जा रही है इसलिए व्यापारियों से, सम्मेलित किए जाने की तिथि से वीडीएलबी में ताकि कामगारों को दैनिक मजदूरी दर से भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त सी.एच.डी. के प्रबंधन की लागत आपूर्ति हेतु कामगारों के लिए प्रचालित लेवी वसूल करने के लिए सहमत हो गये है।

(छ) कथित विलयन व्यवस्थाएं अंतिम रूप से मान ली गईं और कथित विलयन, लेवी एकत्रित करने सहित सावधानीपूर्वक अनुकरणीय हैं।

(ज) उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में लेवी वसूल करने की वर्तमान पद्धति वीडीएलबी के सम्मेलित किए जाने के बाद वीपीटी के साथ यथावत अपनायी गई है। सम्मेलित किए जाने के समय, सामान्य लेवी, तापीय कोयला सहित सभी कार्गो पर ली जा रही है तथा सामान्य लेवी के बराबर दर अनुसार तापीय कोयला की कामगारो द्वारा उत्तरायी पर सामान्य लेवी के अलावा पीस रेट लेवी दर पर वसूल की गई थी ।

(झ) दरमानों के कार्यान्वयन से पूर्व सी.एच.डी. द्वारा लगायी गई लेवी और सी.एच.डी. को हुई हानियों का ब्यौरा नीचे तालिका बद्ध किया गया है।

वित्तीय वर्ष	हानि	सामान्य लेवी %	पीस रेट लेवी %
2005-06	(-) 2,28,44,526	95%	95%
2006-07	(-) 6,04,06,681	95%+20%+5%	95%
2007-08	(-) 12,79,18,831	95%+20%+5%	95%
2008-09 (1.4.2008 to 25.9.2008)	(-) 4,21,16,821	145%+39+5%	145%
2008-09 (26.9.2008 to 31.3.2009)	(-) 4,05,68,167	145%+39+5%	145%
2009-10	(-) 41,74,02,808	145%+39+5%	145%

(ञ) उपर्युक्त से देखा जा सकता हे कि उपयुक्त दरों के अनुसार लेवी लेने पर सी.एच.डी. को हानि होती है । इसके अतिरिक्त विलयन की ओर ध्यान दिलाते हुए यह स्पष्ट तौर पर सहमति हो गई थी कि सी.एच.डी. स्वत: आत्म निर्भर होगी । उसी करार में यह भी सहमति बनी थी कि वीडीएलबी में प्रचलित वसूली की तिथि से ही लेवी एकत्रीकरण जारी रहेगा । क्योंकि सी.एच.डी. को अभी भी हानि हो रही है इसलिए उसी दर पर पीस रेट लेवी जो इससे पूर्व वसूल की जा रही थी, को सी.एच.डी. में होने वाली हानि से बचने के लिए जारी रखी गई है ।

(ट) विलयन किए जाने के पश्चात जब 01.03.2011 से प्रशुल्क संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण को भेजते समय सी.एच.डी. ने प्राधिकरण को सूचित किया कि मौजूदा पद्धति और सम्मेलन व्यवस्था में सरकारी अनुमोदन तथा सी.एच.डी. की वित्तीय स्थिति व सी.एच.डी. को न लाभ न हानि के आधार पर प्रचालित रखने के लिए लिए सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए तापीय कोयला के कामगारो द्वारा प्रहस्तन करने पर पीस रेट लेवी, सामान्य लेवी के अतिरिक्त चालू रखना आवश्यक होगा ।

(ठ) प्राधिकरण ने दिनांक 18.01.2011 को पत्र जारी किया जो 5/3/2011 को सी.एच.डी. के सभी पंजीकृत नियोक्ताओं को परिचालित कर दिया गया।

(ड) यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 5.3.2011 के सीएचडी के द्वारा परिचालित पत्र के प्रत्युत्तर में मैं. टी.ए.एन.डी.ई.डी.सी.ओ. के एजेंट एसआईसीएल, चेन्नई ने सी.एच.डी. प्रबंधकों को बताया कि सी.एच.डी. तापीय कोयला प्रचालनों पर 234 प्रतिशत पीआर लेवी वसूल रही है परंतु 18.01.2011 के आदेश में केवल 234 प्रतिशत सामान्य लेवी लेने का उल्लेख किया गया है जिसमें तापीय कोयला भी शामिल है । इसलिए 17.03.2011 को वीपीटी द्वारा सभी नियोक्ताओं को एक शुद्धि-पत्र के द्वारा प्राधिकरण के 05.03.2011 के पूर्व पत्र का संदर्भ देते हुए सूचित किया गया कि समय दर मजदूरी मौजूदा पद्धति के अनुरूप सभी प्रचालनो पर (अर्थात् कामगारों द्वारा तापीय कोयला की उत्तरायी पर) बिना किसी अपवाद यथावत् वसूल की जाएगी ।

(ढ) केवल तापीय कोयला पर 234 प्रतिशत सामान्य लेवी तथा 31 प्रतिशत विशेष लेवी प्रभार पर 234 प्रतिशत की आर लेवी लेने के बारे में, परिस्थितियों के विवरण सहित प्राधिकरण को पहले ही सूचित किया जा चुका है।

[ऊपर पैरा 3.1 से देखा जा सकता है कि 18.01.2011 के आदेश के अंतर्गत मामले का निपटान पहले ही किया जा चुका है।

(ण) टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. द्वारा 4.5 वर्ष पश्चात जब यह मुद्दा वर्ष 2015 में पीस रेट लेवी रोकने तथा लौटाने के लिए 16.09.2015 के अनुरोध पत्र में प्रस्तुत किया जो उसे प्राधिकरण ने 24 सितंबर, 2015 को अग्रेषित कर दिया । तत्पश्चात, टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. को वीपीटी के पत्र दिनांक 23 दिसंबर, 2015 द्वारा सूचित किया गया कि उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता, जिसमें कारणों का उल्लेख भी किया गया तथा पत्र की प्रति प्रधिकरण को भी भेजी गई कथित पत्र में टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. को यह भी सूचित किया गया कि उपर्युक्त वास्तविक स्थिति प्राधिकरण की जानकारी में पुन: लाई जाएगी। दरमानों में आगामी संशोधनों में तथा सी.एच.डी. के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के दौरान तापीय कोयला के कामगारों द्वारा उतारे जानेके लिए दरों को पुन: परिकलित किया जाएगा ताकि वे और स्पर्धात्मक हों।

(iv). मैसर्ज एसआईसीएल और टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. सहित पतन उपयोक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ 18 मार्च, 2016 को वीपीटी में प्राधिकरण द्वारा सामान्य संशोधन प्रस्ताव के बारे में एक बैठक की गई। कथित बैठक में कथित सामान्य लेवी और विशेष लेवी को 01.04.2016 से 265 प्रतिशत से घटा कर 150 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया तथा 01.04.2016 से कामगारों द्वारा प्रभावी तापीय कोयला प्रचालनों पर ली जा रही 234 प्रतिशत लेवी के विवाद को सुलझाया। लेवी को घटाकर 150 करने तथा 234 प्रतिशत पीस रेट लेवी हटाने के परिप्रेक्ष्य में वीपीटी तथा टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. द्वारा परस्पर निर्णय लिया गया कि वीपीटी द्वारा प्राधिकरण से इसके लिए अनुसमर्थन / नियमितिकरण प्राप्त किया जाए।

(v). तत्पश्चात, वीपीटी बोर्ड ने अपने संकल्प सं. 266/2015-16 दिनांक 30 मार्च, 2016 के अंतर्गत सामान्य लेवी और विशेष लेवी को 265 प्रतिशत से घटा कर 01.04.2016 से 150 प्रतिशत करने का तथा भविष्य में तापीय कोयला प्रहस्तनों के लिए 01.04.2016 से ली जाने वाली 234 प्रतिशत की पीस रेट लेवी, को बंद करने का निर्णय लिया जिसे कार्यान्वित कर दिया गया है।

(vi). तत्पश्चात प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.08.2016 को सामान्य दरमानों में संशोधन आदेश जारी किए गए जो 01.04.2016 से प्रभावी है। कथित आदेशों में प्राधिकरण ने यह सुझाव दिया गया कि वीपीटी और टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ., यदि आवश्यक हो तो 234 प्रतिशत पीस रेट लेवी वसूल करने पर टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. द्वारा विवादित पिछले मुद्दे के निपटान के लिए परस्पर सहमत प्रस्ताव दे सकते हैं।

[वीपीटी का कथन कि संशोधित दरमान 01.04.2016 से प्रभावी कर दिए गये थे, सही नहीं है। संशोधित दरमान भारत के राजपत्र में 22 जुलाई, 2016 को अधिसूचित किए जाने के 30 दिन के पश्चात प्रभावी हुए थे]

(vii). इस संबंध में निम्न तथ्यों को प्राधिकरण के संज्ञान में लाना प्रासंगिक होगा कि समय ददर मजदूरी का 234 प्रतिशत प्राधिकरण ने अनुज्ञेय आकलित व्यय तथा तापीय कोयला के प्रहस्तन और निवेश पर अनुज्ञेय प्रत्यागम सहित सीएचडी के कार्यों से संबद्ध उपरिव्यय पर विचार करते हुए प्राधिकरण द्वारा तय किए गए थे। तदनुसार, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लेवी दर के अनुसार ही वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए परिकलन किया गया था। वार्षिक लेखा परीक्षित खातों के अनुसार जिसमें पीआरलेवी दर 234 प्रतिशत है, वर्ष 2011-12 में सीएचडी में रुपये 10,83,88,946 /- का घाटा दिखाया गया है। सारांश विवरणी में वर्ष 2010-11 के आय और व्यय विवरणी के अनुसार रू. 10,18,60,157/- का घाटा दिखाया गया है।

(viii). इससे संकेत मिलता हे कि कामगारों को समय दर मजदूरी के अलावा अदा किए गए अनुज्ञेय प्रशासनिक व्यय लेवी प्रतिशत निर्धारित करते समय उपयुक्त ढंग से लेखा में नहीं लिए गए। संगठन को न लाभ न हानि की स्थिति में बनाए रखने के लिए तापीय कोयला प्रहस्तन हेतु कामगारों के लिए 234 प्रतिशत की मौजूदा लेवी, वीपीटी द्वारा सामान्य लेवी के अतिरिक्त एकत्रित की गई। इससे वर्ष 2011-12 का घाटा शून्य हो सकता है तथा भावी वर्षों में भी यह प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए ताकि संगठन को न लाभ न हानि के आधार पर चलाये रखा जा सके।

(ix). कोयला प्रचालनों पर पीस रेट लेवी लगाने का मुख्य कारण है कि पीस रेट मजदूरी, तापीय कोयला प्रचालनों के लिए निर्धारित मानकों से इतर सीएचडी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए ली जा रही है। तय मानक था प्रति पारी एक वैगन प्रति गैंग जिसके लिए समय दर मजदूरी और सामान्य लेवी एकत्रित की जा रही है और यदि यह प्रचालन एक वैगन प्रति गैंग से अधिक होता है तो पीस रेट लेवी को कार्यान्वयन में वृद्धि हो सकती है परिणामत: पीस रेट लेवी ली जा रही है। उपर्युक्त पर विचार करते हुए प्राधिकरण को यथा पूर्व सूचित, व्यापारियों को परिपत्र जारी कियाग या था कि लेवी लेने की मौजूदा पद्धति जिसमें तापीय कोयला पर प्रतिशत लेवी भी शामिल है, बिना अपवाद सभी प्रचालनों पर जारी रहेगी ।

(x). इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 234 प्रतिशत लेवी जारी रखने के बाद भी सीएचडी को हानि हुई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**कुल**
अधिक्य / घाटा	(-) 10,18,60,157	(-) 7,52,23,416	(-) 11,53,59,739	13,54,50,743	13,98,02,908	(17,189,661)
संगृहीत पीआर लेवी @ 234%	11,48,92,803	14,56,89,606	13,75,31,376	19,99,05,559 **	33,78,09,642	935,828,986
पी आर/लेवी न होने से कुल घाटा	(-)21,67,52,960	(-)22,09,13,022	(-)25,28,91,115	(-)6,44,54,816**	(-)19,80,06,734	(-)95,30,18,647

(*वीपीटी ने टीएएनजीईडीसीओ की टिप्पणी पर पीआर लेवी रुपये 19,99,05,559 उल्लेखित की है जो रुपये 11,99,05,559 पर विचार किया गया है जो वीपीटी की टंकण संबंधी त्रुटि है)

(xi). उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 234 प्रतिशत लेवी लेने के पश्चात भी सीएचडी को वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, में हानि उठानी पड़ी और वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में थेड़ सा लाभ हुआ । यदि वीपीटी द्वारा लेवी न ली गई होती तो वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक के दौरान रुपये 95.30 करोड़ की हानि उठानी पड़ती जो सीएचडी के गठन के सिद्धांत न लाभ न हानि के विरूद्ध था तथा सरकार द्वारा अधिसूचित समेलन व्यवस्था के प्रतिकूल था ।

(xii). यह परिपत्र मार्च, 2011 में, प्रधिकरण के आदेश पर जारी किया गया था। परिपत्र जारी होते ही मै. एसआईसीएल ने लेवी और केवल 234 प्रतिशत +31 प्रतिशत प्रभार लेने का मुद्दा उठा दिया। उसके परिप्रेक्ष्य में मै. एसआईसीएल तथा व्यापार जगत को यह बताने के लिए 17.03.2011 को एक शुद्धि पत्र जारी किया गया। समय दर मजदूरी पर लेवी, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लेवी के प्रतिशत के अनुसार बिना किसी अपवाद सभी प्रचालनों पर मौजूदा प्रक्रिया अनुसार जारी रहेगी। परिपत्र जारी होने के बाद मै० एसआईसीएल बिना किसी आपत्ति के प्रभार का भुगतान कर रहा हे। वीपीटी ने पुन: कहा है कि मै० टीएएनजीईडीसीओ का पतन से कोई सीधा संबंध नहीं है तथा मैं० एसआईसीएल, मै०टीएएनजीईडीसीओ के कागो्र का प्रहस्तक स्टीवडोर है।

(xiii). यद्यपि वीपीटी द्वारा रेट लेवी ली जा रही है, मै० टीएएनडीईडीसीओ ने ही वर्ष 2015 में अर्थात् 4.5 वर्ष के पश्चात केवल यह मुद्दा उठाया है। मै०एसआईसीएल जो तापीय कोयला के बड़े कागो्र का स्टीवडोर प्रहस्तक है, बिना किसी

स्पर्धा या प्रतिकूलता के प्रभार अदा कर रहा है क्योंकि उसे सीएचडी की कार्य प्रणाली, प्रचालन और प्रशासन की जानकारी है।

(xiv). इसके अलावा, लेवी ने विषय पर व्यापार में किसी ओर से कोई अन्य विरोध या स्पर्धा नहीं है, क्योंकि स्टीवडोर सीएचडी के कर्मचारी है तथा वे सीएचडी के प्रचालनों और प्रशासन के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत होती तो स्टीवडोरों की संस्था ने मामले को स्वयं ही प्राधिकरण के पास दर्ज करा दिया होता।

(xv). यह मानते हुए कि इस बात पर सर्वसहमति है, वीपीटी द्वारा लेवी घटा कर 150 प्रतिशत कर दी गई।

(xvi). सीएचडी के समग्र परिदृश्य गणना/कार्यप्रणाली/प्रचालन तथा लेवी लगाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए प्राधिकरण से अनुरोध किया जाता है कि पिछली लेवी का नियमितीकरण कर दिया जाए।

9. इस प्रकार संक्षेप में वीपीटी ने, 01.03.2011 से 31.03.2016 तक वीपीटी द्वारा उगाही गई 234 प्रतिशत लेवी के नियमितीकरण के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया है।

10. निर्धारित परामर्शी प्रक्रियानुसार, संबंधित उपयोक्ताओं / उपयोक्ता संगठनों अर्थात् टीएएनडीईडीसीओ, विशाखापतनम स्टीवडोर्स एसोसिएशन, और मै० एसआईसीएल से अभ्युक्तियां आमंत्रित करते हुए, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 कोवीपीटी के दिनांक 20 सितंबर 2016के प्रस्ताव की प्रतिअग्रषित करते हुए एक पत्र भेजा गया। टीएएनजीईडीसीओ को छोड़ कर किसी भी उपयोक्ता / उपयोक्ता संगठन से कोई अभ्युक्ति प्राप्त नही हुई है। वीपीटी ने दिनांक 23 दिसंबर, 2016 के पत्र द्वारा टीएएनजीईडीसीओ को संयुक्त सुनवाई के पश्चात प्रत्युत्तर भेजा गया है।

11. इस मामले में 21 अक्टूबर, 2016 को प्राधिकरण कार्यालय, मुंबई में एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई । वीपीटी द्वारा प्रस्ताव की पॉवर प्वायंट प्रस्तुति दी गई । टीएएनजीईडीसीओ ने भी संयुक्त सुनवाई के दौरान पॉवर प्वांयट प्रस्तुति दी । इस बैठक में, वीपीटी तथा उपयोक्ता / उपयोक्ता संगठनों ने अपनी-अपनी राय व्यक्त की।

12.1. संयुक्त बैठक में टीएएनजीईसीओ ने 20 अक्टूबर, 2016 के अपने पूर्ववर्ती टिप्पणियों की प्रति भी प्रस्तुत की । टिप्पणियां प्रस्तुत करते समय टीएएनजीईडीसीओ ने आगे टिपपणियों के लिए वर्ष 2011-12 से 2015-16 के वर्षों के लिए परिकलन और पुष्टि हेतु प्रलेख सहित तुलन पत्र की प्रति भी भेजी है।

12.2. वीपीटी को हमारे 03 नवंबर, 2016 के पत्र द्वारा अपेक्षित दस्तावेज आय और व्यय विवरणी तथा सीएचडी का तुलन पत्र, वर्ष 2011-12 से 2015-16 से संबंधित पुष्टि हेतु प्रलेख और परिकलन ब्यौरे सहित सीधे टीएएनजीईडीसीओ तथा प्रति इस प्राधिकरण को तुरंत प्रेषित करने का अनुरोध किया गया । टीएएनजीईडीसीओ को भी इन पर आगे अपनी अभ्युक्तियां, यदि कोई हो, वीपीटी तथा इस प्राधिकरण को, अपेक्षित दस्तावेज वीपीटी से प्राप्त होने के तुरंत पश्चात, भेजने का अनुरोध किया गया । वीपीटी को टीएएनजीईडीसीओ से प्राप्त अभ्युक्तियों पर अपनी अभ्युक्तियां देने का अनुरोध किया गया।

12.3. इसके पश्चात 23 नवंबर, 2016 और 21 दिसंबर, 2016 को स्मरण पत्र भेजे गए। वीपीटी ने 23 दिसंबर 2016 के पत्र के अंतर्गत टीएएनजीईडीसीओ की टिपपणियों पर अपनी टिप्पणी देते समय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते समय टीएनजीईडीसीओ को तुलन पत्र भी प्रस्तुत किए हैं और उसकी एक प्रति प्राधिकरण को भी दी है। टीएएनजीईडीसीओ ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए वीपीटी द्वारा टीएएनजीईडीसीओ को प्रेषित तुलन पत्र और अपेक्षित टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की है।

13. वीपीटी ने 20 जनवरी, 2017 के फैक्स पत्र के द्वारा पुन: वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक सीएचडी के तुलन पत्र, सीएचडी के आय-व्यय विवरणी सहित, एक प्रति प्रस्तुत की है।

14. इस मामले में परामर्शी कार्यवाही का रिकार्ड प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध है। प्राप्त अभ्युक्तियों और संबंधित पक्षों द्वारा की गई चर्चा के उद्धरण पृथक रूप से सभी संबंधित पक्षों को भेज दिए जाएंगे। ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्ध है।

15. मामले पर कार्रवाई के दौरान एकत्रित समग्र सूचना/ जानकारी के संदर्भ में निम्न स्थिति बनती है।

(i). विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के प्रस्ताव का वीपीटी द्वारा 01 मार्च 2011 से 31 मार्च 2016 तक तापीय कोयला के कामगारों द्वारा ढुलाई के लिए वसूल की गई 234 प्रतिशत समय दर मजदूरी की 234 प्रतिशत पर पीस रेट मजदूरी की अभिपुष्टि की जानी है।

(ii). वीपीटी का यह प्रस्ताव जून 2016 में वीपीटी के दरमानों में सामान्य संशोधन टीएएनजीईडीसीओ द्वारा संदर्भित मामले पर कार्रवाई से सृजित है। प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत वीपीटी द्वारा प्रस्तुत सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर कार्रवाई करते समय टीएएनजीईडीसीओ ने समय दर मजदूरी पर 234 प्रतिशत पीस रेट मजदूरी वसूल करने का उल्लेख किया है जिसे प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त नहीं है । टीएएनजीईडीसीओ ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि पीसरेट मजदूरी वसूल न करने के वीपीटी को निर्देश दिए जाएं। इस विषय में पैरा 18(xvii) (ख) आदेश सं. टीएएमपी/9/2016 वीपीटी दिनांक 21 जून में विस्तार पूर्वक कहा गया है। कथित आदेश में यह प्राधिकरण ने उल्लेख किया था कि प्राधिकरण वीपीटी द्वारा की गई कार्रवाई और वीपीटी द्वारा एकत्रित लेवी को नियमित करने की स्थिति में नहीं होगा जो अनुमोदित सीएचडी लेवी और वीपीटी के मौजूदा दरमानों में तत्कालीन निर्धारित लेवी के अनुरुप नहीं है। यदि वीपीटी और टीएएनजीईडीसीओ आवश्यक समझें तो टीएएनजीईडीसीओ द्वारा पिछले विवादित मामले के निपटान हेतु परस्पर सहमति से एक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वीपीटी ने वर्तमान प्रस्ताव पस्तुत किया है

(iii). (क) वीपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विश्लेषणात्मक कार्रवाई करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा कार्गो प्रहस्तन प्रभाग (सीएचडी) के लिए अनुमोदित लेवी का प्रारुप का संक्षिप्त उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। वीपीटी ने सर्वप्रथम वर्ष 2008 में तत्कालीन विशाखापत्तनम डॉक हॉरबर बोर्ड (वीएलडीबी) के विलयन के पश्चात वर्ष 2010 में सवीएचडी के लिए दर निर्धारण हेतु प्राधिकरण से अनुरोध किया। तत्पश्चात प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी/26/2010-वीपीटी दिनांक 18 जनवरी 2011 में वीपीटी पर सीएचडी से श्रमिकों के लिए सीएचडी लेवी के लिए प्रारंभिक प्रशुल्क का अनुमोदन किया। ऊपर पैरा 3.1 में किए गए उल्लेखानुसार प्राधिकारण ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए सीएचडी की लागत विवरणी में दर्शाए गए घाटे के कुल आकलन के आधार पर तापीय कोयला सहित सभी कार्गो हेतु सीएचडी की सेवाएं लेने के लिए समय दर मजदूरी पर 234 प्रतिशत सीएचडी लेवी का अनुमोदन किया गया था। दरमानों की अनुसूची 4.7.4.1 के नीचे नोट में उल्लेख किया गया था कि अनुसूची में दी गई सीएचडी लेवी अर्थात समय दर मजदूरी का 234 प्रतिशत समय दर मजदूरी की और कामगारों को प्रचलित मजदूरी प्रबंधन/प्रोत्साहन स्कीम के खंडों के अनुसार देय पीस रेट मजदूरी की वसूली के अतिरिक्त है।

(ख) सीएचडी के निर्धारणके लिए वीपीटी के प्रस्ताव पर कार्रवाई के दौरान परिणामत: आदेश दिनांक 18 जनवरी 2011 के पैरा 12 (ix) के अनुसार जो ऊपर पैरा 3.1 पर उल्लेखित है पत्तन ने उल्लेख कियाहै कि तापीय कोयला की उत्तरायी प्रचालन कार्य में तैनात कर्मियों के मामलों में सामान्य लेवी के अतिरिक्त मान्य लेवी के समान ही पृथक लेवीली जा रही है जिसे विलयन किए जाने के समय से प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार पीस रेट लेवी कहते हैं , वसूल की जा रही है। यद्यपि इसे पीआर लेवी कहते हैं तथापि यह समय दर मजदूरी के प्रतिशत के हिसाब से है। पीआरलेवी के नाम से यह विशेष लेवी लेने का आधार और तर्क उस समय पत्तन द्वारा नहीं बताए गए । पत्तन ने उस समय भी तापीय कोयला पर पीआर लेवी के लिए स्पष्ट तौर पर प्रस्ताव नहीं किया था सिवाय यह कहने के कि यह बिना किसी स्पष्टीकरण के मौजूदा प्रक्रिया अनुसार ही एकत्रित किया जाएगा। जागत विवरणी के अनुसार, सीएचडी में घाटे को पूरा करने के लिए यह समय दर मजदूरी का 234 प्रतिशत परिकलित की गई जिसे प्राधिकरण ने वैगन से कोयला उतारने के मामलों सहित सभी प्रचालनों के लिए सीएचडी से कामगारों की सुविधा प्राप्त करने के लिए एक समान रूप से निर्धारित की गई।

यह स्थिति स्पष्ट है तथा आदेश में कोई संदिग्धता नहीं है। वीपीटी की ओर से कथित आदेश की समीक्षा की उस समय कोई उपयुक्तता नहीं थी ।

(iv). (क) प्रशुल्क आदेश दिनांक 2011 में स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद पत्तन द्वारा तापीय कोयला उतारने के लिए 234 प्रतिशत की दर से पीआर लेवी ली गई है। पीआर लेवी का वीपीटी द्वारा वसूल किया जाना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है। जब मै0 साऊथ इंडिया कार्पोरेशन लि. (एसआईसीएल) ने इसकी जानकारी पत्तनको दी तो वीपीटी द्वारा दिनांक 23 मार्च 2011 को व्यापारजगत को सूचित करते हुए पूर्व परिपत्र के संदर्भ में एक शुद्धि-पत्र जारीकिया गया कि तापीय कोयला की उत्तरायी पर समय दर मजदूरी के 234 प्रतिशत की दर से पूर्ववत् पी आर लेवी वसूल की जाती रहेगी ।

(ख) केवल इस मामले पर कार्रवाई के दौरान ही पीपीटी ने तापीय कोयला प्रचालन कार्यों पर पीआर लेवी वसूल करने का आधार बताया है। विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड(वीडीएलबी) (वर्तमान सीएचडी) वीपीटी के साथ मिलकर तब प्रचलित पद्धति के अनुसार प्रशासनिक व्यय/पेंशन/ग्रेच्युटि दायित्व, प्रबंध और काल्याणकारी गतिविधयों के लिए सीएचडी के नियोक्ता से वसूल करने पर सहमत हो गये थे। करार व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता,सीएचडी के समग्र व्यय को पूरा करने के लिए समय समय पर निर्धारित लेवी सीएचडी को अदा करनी होगी । इस प्रयोजन के लिाए स्टीवडोर्स, सीएचडी के नियोक्ता हे तथा वे सीएचडी प्रचालन और प्रशासन के बारे में भली-भांति जानते हैं । इस प्रकार संक्षेप में करार व्यवस्था के अनुसार स्टीवडोर्स को ही लेवी अदा करके सभी व्यय पूरे करने हैं। तदनूसार, वीपीटी ने प्रचलित प्रणाली के अनुसार सीएचडी के लिए सामान्यलेवी के साथ 234 प्रतिशत लेवी जनवरी 2011 के बाद समय दर मजदूरी के समान पीआर लेवी लेना जारी रखा। टीएएनजीईडीसीओ ने यह मुद्दा वर्ष 2015 में 4.1/2 वर्ष पश्चात उठाया है।

(ग) यह पीस रेट,तापीय कोयला की उतरायीकाग्र के लिए निर्धारित मानकों से अधिक कार्य हेतु सीएचडी द्वारा लगाए गए श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के लिए एकत्र की जाती है। तापीय कोयला की उत्तरायी काग्र के लिए निर्धारित मानक एक वैगन प्रति शिफट प्रति गैंग है। इसके लिए ही समय दर मजदूरी तथा सामान्य लेवी वसूली जाती है। प्रचालन एक वैगन से अधिक हो जाने तथा दूसरी पारी तक चलने की स्थिति में दूसरा गैंग लगाया जाता है। ऐसा करने पर समय दर मजदूरी तथ सामान्यलेवी साथ साथ लिए जाते हैं । क्योंकि ऐसा करने से व्यापार कार्य पर बोझबढ़ता है इस लिए पत्तन ने दूसरे वैगन के लिए दूसरा गैंग तैनात न करने तथा उसी गैंग से दूसरी वैगन के कार्य को पीस रेट लेवी से संचालित करने की अनुमति दे दी थी। पत्तन ने परिणामत: डीएलवी को समय दर मजदूरी और उस पर लेवी की अपेक्षा दूरी पारी में दूसरी वैगन के लिए दूसरा गैंग लगाने के कारण दूसरे वैगन पर केवल पीआर लेवी ही देनी होती थी। इस संदर्भ में वीपीटी ने कथित तौर पर तापीय कोयला उत्तरायी कार्यों के लिए पीआर लेवी ही वसूल की है।

(घ) पत्तन द्वारा प्रस्तुत पीआर लेवी का आधार जनवरी 2011 के प्रस्ताव में कार्रवाई के दौरान वीपीटी द्वारा स्पस्ट नहीं किया गया था और न ही पीआर लेवी के लिए इस प्राधिकारण का अनुमोदन लेने के लिए सीएचडी हेतु लेवी के निर्धारण के लिए । पत्तन को ज्ञात है कि संविधिक नियमानुसार पत्तन सेवा प्रदायगियों के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित दरों के अनुसार ही प्रशुल्क ले सकता है। तथापि, पत्तन ने प्राधिकरण अनुमोदन के बिना ही वर्ष 2011 से 2016 तक पीस रेट मजदूरी संग्रहीत की है और 'जो हो गया, सो होगया' जैसी स्थिति, प्राधिकरण के सामने पेश की है जिसे प्राधिकरण के समक्ष 1-3-2011 से 31-3-2016 तक की अवधि के लिए पत्तन द्वारा संगृहीत कार्रवाई की अभिपुष्टि के लिए प्रस्तुत किया है।

(v). जून 2016 के आदेश में प्राधिकरण ने वीपीटी और टीएएनजीईडीसीओ को,परस्पर सहमत प्रस्ताव टीएएनजीईडीसीओ द्वारा विवादित पिछले विवाद के निपटान के संबंध में पेश करना था। तथापि देखा गया है कि वीपीटी और टीएएनजीईडीसीओ के दोनों के प्रस्ताव में भिन्न-भिन्न् मत प्रकट किए गए हैं। टीएएनजीईडीसीओ ने पीपीटी द्वारा 01 मार्च 2011 से 31 मार्च 2016 तक प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना ही पीस रेट लेवी लेने को वापस करने का अनुरोध किया है। वीपीटी ने 01 मार्च 2011 से 31 मार्च 2016 तक एकत्रित पीस रेट लेवी को नियमित/अभिपुष्ट करने का अनुरोध किया है। वीपीटी ने पुष्टि की है कि 01 अप्रैल 2016 से तापीय कोयला उत्तरायी पर पीस रेट लेवी लेना बंद कर दिया गया है।

(vi). क्योंकि टीएएनजीईडीसीओ द्वारा विवादित मामले को सुलझाने के लिए लिए वीपीटी और टीएएनजीईडीसीओ ने अपने वर्तमान प्रस्ताव में परस्पर सहमत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है, प्राधिकरण के समक्ष इस प्रस्ताव पर काई निर्णय लिया जाना शेष है। 18 जनवरी 2011 के आदेश में सीएचडी के लिए विचारित लागत विवरण आकलन वर्ष 2010-11 से 2013-14 से संबंधित है। पत्तन ने अब वर्ष 2011 -12 से 2015-16 तक की सीएचडी की वित्तीय स्थिति का सारांश पेश किया है। क्योंकि वर्ष 01 मार्च 2011 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए पत्तन द्वारा संगृहीत पीस लेवी पर पत्तन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि के लिए है और इसे यह मानते हुए कि वीपीटी द्वारा उल्लेखित करार तिथि के अनुसार लेवी द्वारा ही सीएचडी के समस्त व्यय स्टीडोर्स को ही पूरा करने हैं, यह प्राधिकरण पत्तन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 से 2015-16 की सीएचडी की वित्तीय स्थिति जैसा कि वीपीटी द्वारा प्रस्तुत सारांश में दी गई है तथा केवल प्रशुल्क निर्धारण में अन-अनुमत्त ब्याज से आय को शामिल न करने के संदर्भ में आशोधित प्रस्ताव के निपटान के विषय में निर्णय लेता है । आशोधित सारांश विवरणी **अनुलग्नक** के रुप में संलग्न है।

अनुलग्नक के तौर पर वीपीटी द्वारा प्रस्तुत सारांश विवरणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक का कुल निबल घाटा लेखा परीक्षित आय और व्यय विवरणी के अनुसार रू.1.719 करोड़ है । इस घाटे में संबंधित वर्षों के लिए वीपीटी द्वारा उल्लेखित समय दर मजदूरी के 234 प्रतिशत की दर से पीआर लेवी के वसूले गए रू. 93.58 करोड़ भी शामिल हैं। वीपीटी ने उल्लेख किया है कि यदि वीपीटी ने कथित पीआर लेवी न ली होती तो सारांश स्थिति में समस्त निबल घाटा रू. 95.30 करोड़ होता । वीपीटी द्वारा प्रस्तुत सारांश में इस सीमा तक आशोधन किया गया है कि वीपीटी द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षित आय और व्यय विवरणी में कथित व्याज से आय को शामिल नही किया गया है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उपर्युक्त निबल घाटा 16 प्रतिशत आरओसीई पर विचार किए बिना परिकलित है।

(vii). सीएचडी वास्तविक सिथति पर विचार किए बिना वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के लिए यह घाटा रू.102.57 करोड़ होता यदि वीपीटी ने पीस रेट लेवी न वसूल की होती। 01 मार्च 2011 से 31 मार्च 2016 तक तापीय कोयला के उत्तरायी कार्य के लिए समय दर मजदूरी का 234 प्रतिशत पीस रेट मजदूरी के तौर पर वसूल करने की वीपीटी की कार्रवाई अभिपुष्टि के योग्य है। वीपीटी को प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना कोई भी प्रशुल्क न वसूलने का परामर्श दिया जाता है तथा 'जो हो गया सो हो गया' की स्थिति पत्तन की कार्रवाई की अभिपुष्टि करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है।

कामगारों के लगाए जाने के पैमाने के कार्यान्वयन पर टीएएनजीईडीसीओ द्वारा उठाए गए मुद्दे पर वीपीटी ने पुष्टि की है कि यह पैमाना वर्ष 2010 में कार्यपरक दक्षता बढ़ाने तथा प्रतिटन लागत घटाने और पड़ोसी पत्तनों से स्पर्धा के मद्देनज़र लागू किया गया था। पत्तन की, सीएचडी में स्वैछिक सेवा निवृत्ति योजना शुरु करने, कामगारों को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने और कुछ प्रचालनों का मशीनीकरण करने की योजना है जिससे समग्र रुप से कार्य निष्पादन भी बढ़ेगा और प्रतिटन लागत में कमी आएगी।

(viii). टीएएनजीईडीसीओ ने उल्लेख किया है कि वर्ष 2011 से 2016 तक उसने टीएएनजीईडीसीओ को समय दर मजदूरी (रू.461.76 करोड़) पर रू. 1267.49 करोड़ , समय दर मजदूरी और विशेष लेवी के रू.61.17 करोड़ पर रू.461.76 करोड़ समय दर मजदूरी का भुगतान किया है । टीएएनजीईडीसीओ द्वारा किए गए विवरण में यह कुल रू.1267.49 की अपेक्षा रू. 984.89 करोड़ बनता है। यह टीएएनजीईडीसीओ तथा एसआईसीएल के मध्य है ।

16. अन्तत: और उपर्युक्त करणोसे तथा समग्र सोच विचार के पश्चात यह प्राधिकरण 01 मार्च 2011 से 31 मार्च 2016 की पिछली अवधि के दौरान तापीय कोयला की उत्तरायी संबंधी प्रचालन कार्यों के लिए वीपीटी द्वारा एकत्रित पीआर लेवी के नियमितीकरण के लिए वीपीटी के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./03/17]

अनुलग्नक

वीपीटी द्वारा यथा प्रस्तुत और प्राधिकरण द्वारा अशोधित वीपीटी के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग में निबल घाटा का सारांश

राशि रुपयों में

क्रम सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
(i).	वार्षिक खातों के अनुसार अधिक्य/ (घाटा)	(10,18,60,157)	(7,52,23,416)	(11,53,59,739)	13,54,50,743	13,98,02,908	(1,71,89,661)
(ii).	वीपीटी के प्रस्तावानुसार 234 प्रतिशत पीस रेट लेवी लगाने से प्राप्त आय	11,48,92,803	14,56,89,606	13,75,31,376	19,99,05,559	33,78,09,642	93,58,28,986
(iii).	निबल अधिक्य/ (घाटा)यदि वीपीटी द्वारा एकत्रित 234 प्रतिशत पीस रेट लेवी को निबल अधिक्य/(घाटा) स्थिति (i) (ii) में सम्मिलित नहीं किया जाता है य जैसा कि वीपीटी ने प्रस्तुत किया है।	(21,67,52,960)	(22,09,13,022)	(25,28,91,115)	(6,44,54,816)	(19,80,06,734)	(95,30,18,647)
(iv).	घटाएं: अनअनुमत्त (प्राधिकरण द्वारा) ब्याज से आय	12915123	11237317	14759668	15090251	18733687	72736046
(v).	निबल अधिक्य/ (घाटा)यदि वीपीटी द्वारा एकत्रित 234 प्रतिशत पीस रेट लेवी को निबल अधिक्य/(घाटा) स्थिति (i) (ii) में सम्मिलित नहीं किया जाता है : जैसा कि वीपीटी ने प्रस्तुत तथा प्राधिकरण ने आशोधित किया है।	-229668083	-232150339	-267650783	-79545067	-216740421	-1025754693

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st March, 2017

No. TAMP/63/2016-VPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Visakhapatnam Port Trust (VPT) for ratification of collection of Piece Rate Levy @ 234% of time rate wages on manual unloading of thermal coal from wagons from 01.03.2011 to 31.03.2016 by VPT as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/63/2016-VPT

Visakhapatnam Port Trust **- - -** **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 8th day of February, 2017)

This case relates to the proposal dated 20 September 2016 received from Visakhapatnam Port Trust (VPT) for ratification of collection of Piece Rate Levy @ 234% of time rate wages on manual unloading of thermal coal from wagons from 01.03.2011 to 31.03.2016 by VPT.

2. This Authority earlier vide Order no.TAMP/26/2010-VPT dated 18 January 2011 had approved Levy for deployment of Labour for Cargo Handling Division (CHD) at Visakhapatnam Port Trust (VPT).

3.1. The relevant extract from the paragraph no.12(ix) of Order no.TAMP/26/2010-VPT dated 18 January 2011 with regard to levy of 234% on Time Rate Wages approved by this Authority is reproduced below:

"Summary of the cost position reflected in the revised cost statement prepared by us is given below:

(***Rs. in lakhs***)

Year	***Time Rate Wages***	***Net deficit***	***Net deficit as % of time rate wages***
2010-11	*1836.99*	*(-)5244.23*	*(-) 285%*
2011-12	*1976.40*	*(-)5004.77*	*(-)253%*
2012-13	*2144.80*	*(-)4945.40*	*(-)231%*
2013-14	*2327.83*	*(-)5063.36*	*(-)218%*
Total for the period 2010-11 (from March 2011 till 2013-14)	***6602.12***	*(-)15450.55*	*(-) 234% Avg.*

The year 2010-11 will almost come to an end by the time the levy approved in this case is made effective. Hence, the proportionate deficit for the year 2010-11 and the levy income collected by the port for eleven months i.e. from 1 April, 2010 to 28 February 2011 is considered as part of the past period for determining the special levy.

Based on the above, the total deficit for March 2011 and the years 2011-12 to 2013-14 estimated at Rs.15450 lakhs are considered for determining the levy. As per the cost statement, the levy to bridge the deficit of Rs.15450 lakhs is 234% of the time rate wages. Thus, the levy for the CHD is prescribed at 234% of the time rate wages.

The port has clarified that in case of workers deployed for the wagons unloading operations of thermal coal in addition to general levy a separate levy at par with general levy is being collected termed as piece rate levy as per the procedure in vogue at the time of the merger. Though it is termed as PR levy, the said levy is collected as percentage of time rate wages. The logic and the basis for collecting separate levy in the name of piece rate levy is not explained by the port. The port has also in the proposal not explicitly proposed PR levy on Thermal Coal except stating that it will be collected as per the existing procedure without offering any other explanation. As per the cost statement, the levy to bridge the deficit is 234% of the time rate wages which will apply uniformly for all cargo availing the deployment of labour from the CHD including the thermal coal for wagon unloading operations.

The levy of 234% of the time rate wage is in addition to the recovery of time rate and the piece rates to workers collected from trade for deployment of workers from the CHD as stated by the VPT."

3.2. In the said Order, this Authority based on the cost position had approved the following:

"Schedule 4.7.4 – Levy of charges for obtaining services of cargo handling worker from the Cargo Handling Division.

4.7.4.1.Levy on Time Rate Wages

Description	**Percentage of Levy on Time Rate Wage**
For all Cargo availing services of cargo handling worker from Cargo Handling Division including Thermal Coal availing services of cargo handling worker for wagon unloading.	234%

Notes:

1. The levy indicated above is in addition to recovery of time rate wages and piece rates payable to workers as per the respective clauses of prevailing wage settlement / incentive scheme.
2. The above levy is payable by the stevedores to the VPT.

4.7.4.2.Special Levy

Particulars	**Percentage of additional special levy on Time Rate Wage**
On all cargo availing services of cargo handling worker and also on thermal coal availing services of cargo handling workers for wagon unloading	31%

Note: The special levy prescribed above will be levied in addition to the levy prescribed in Schedule 4.7.4.1 above for deployment of workers from CHD for handling cargo."

4. The above schedule was subsequently incorporated in the General Revision order of the SOR of VPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/13/2009-VPT dated 18 February 2011.

5. The VPT in the recent General Revision proposal filed for revision of SOR under Tariff Policy, 2015 has included the revision of CHD as a part of General Revision of SOR and the estimated ARR includes the CHD division also. The VPT had proposed to reduce the then existing CHD levy of 234% on time rate wages to 150% on time rate wages. This Authority has approved CHD levy as proposed by the port in the recent General Revision Order No.TAMP/9/2016-VPT dated 21 June 2016.

6.1. It is relevant here to state that while processing the said General Revision Order, TANGEDCO had stated that the VPT is presently collecting CHD levy at 234% on time rate wage and 234% as piece rate wages + 31% special levy. This works out to 499%. TANGEDCO had requested this Authority to direct VPT not to collect any other levy other than the rate approved by this Authority. TANGEDCO had brought out the same matter earlier vide its letters dated 7 August 2015 and 16 September 2015 which were forwarded to VPT vide our letters dated 18 August 2015 and 24 September 2015 for necessary appropriate action.

6.2. With reference to the point made by TANGEDCO during the processing of general revision proposal of VPT, this Authority in the Order dated 21 June 2016 at para 18 (xvii) (b) has held that:

"(b). TANGEDCO has stated that the VPT is presently collecting CHD levy at 234% on time rate wage and 234% on piece rate wages + 31% special levy. This works out to 499%. TANGEDCO has requested this Authority to direct VPT not to collect any other levy other than the rate approved by this Authority. It is relevant to state here that TANGEDCO had brought out the same matter earlier vide its letters dated 7 August 2015 and 16 September 2015 which were forwarded to VPT vide our letters dated 18 August 2015 and 24 September 2015 for necessary appropriate action. Now, in the current general proposal TANGEDCO has reiterated the matter.

The port in the current proposal has requested this Authority to regularise the levy of 499% levied by the VPT. The VPT has stated that this is in the light of the discussions held in the joint hearing and the parties have agreed to regularise past levy of 499% and to levy 150% in future. As regard the above point of VPT, it is relevant to state that as per the notes of arguments recorded at the joint hearing, when TANGEDCO at the joint hearing submitted that VPT is collecting CHD levy at 234% on time rate wage and 234% on piece rate wages + 31% special levy, 499%, the port agreed to examine and reply on the matter. There is nothing on record to show that parties agreeing to regularise the rate levied by the VPT.

It is relevant to state here that as per the existing Scale of Rates of VPT, the levy approved by this Authority is 234% on Time Rate Wages. There is no ambiguity in the SOR in this regard. The levy collected by VPT at 234% on Piece rate wages in addition to time rate wages is not in line with the tariff approved by this Authority in the existing Scale or Rates. It is not clear under what tariff arrangement the VPT has collected the additional 234% levy on piece rate wages. Since, the levy of 234% on time rate wages approved by this Authority is based on the cost position obtained for CHD in the Order No.TAMP/26/2010-VPT dated 18 January 2011, the request of the VPT to regularise the levy collected by it at 234% on piece rate wages is not in line with the levy approved in the said Order and may involve tinkering with the CHD levy of 234% on time rate wages approved in said Order. In view of the above position, this Authority is not in a position to ratify the action of the VPT and regularise the levy collected by the VPT which is not in line with the CHD levy approved and prescribed in the existing SOR of VPT. The VPT and TANGEDCO may, if necessary, come up with a mutually agreed proposal to resolve the past matter disputed by TANGEDCO."

7. Subsequent to the General Revision Order passed by this Authority on 10 August 2016, TANGEDCO vide its letter dated 3 September 2016 addressed to VPT with a copy to this Authority has made the following main points:

(i). VPT was requested vide letters dated 7 August 2015 and 16 September 2015 to stop collecting of 234% Piece Rate levy on time Rate Wages in respect of Manual Unloading of coal from wagons on a/c TANGEDCO and to refund the piece Rate Levy already collected from 01.03.2011 as it is without proper authority and not in line with the TAMP approval.

(ii). The above subject was brought to the notice of TAMP vide letter No.CE/M/COAL/SE/CH/E2/A4/F.P.O.49/D.79/2015 dated 17 November 2015. TAMP has vide its letter No.TAMP/50/2015-VPT dated 22 December 2015 requested VPT to examine the points made by TANGEDCO.

(iii). The TAMP have notified the reasoned Speaking Order connected with disposal of the proposal of the Visakhapatnam Port Trust for general revision of its SOR vide G.No.320 dated 10 August 2016.

(iv). The TANGEDCO has reiterated para 18(xvii)(b) of the said Order and informed that it will have to recover the Piece Rate levy of 234% already paid to VPT w.e.f. 01.03.2011.

(v). M/s.South India Corporation Ltd. (SICL) and the VPT are requested to stop collecting of 234% Piece Rate levy on Time Rate Wages in respect of Manual Unloading of coal from wagons on a/c TANGEDCO and VPT to refund the handling contractor M/s.SICL the Piece rate levy collected from 01.03.2011 as it is not in line with the TAMP approval.

8. The VPT has, in response, vide its letter dated 20 September 2016 filed a proposal requesting ratification of collection of Piece Rate Levy @ 234% on time rate wages for manual unloading of thermal coal from 1 March 2011 to 31 March 2016. The main points made by VPT are summarised below:

(i). VPT has sent a proposal for revision of Scale of Rates, vide proposal dated 30.12.2015. TAMP has conducted hearing on 18.03.2016 and passed Orders vide Order dated 21.06.2016, notified in the Official Gazette on 22.07.2016. Reference is invited to the discussions held during TAMP's hearing on 18.03.2016 with regard to the P.R. Levy of 234% by CHD on Thermal Coal wagon unloading operations, which was discussed in detail and the circumstances for collection of such Levy by Port. TAMP, while passing the Order at para 18(xvii)(b), mentioned that the VPT and TANGEDCO may, if necessary, come up with a mutually agreed proposal to resolve the past matter disputed by TANGEDCO.

(ii). In this connection, it is to state that TANGEDCO is not having any direct Agreement with the Port. The Thermal Coal unloading operations are being handled by M/s. South India Corporation Ltd., which is a Stevedore and is paying all charges to Port and it is the only Stevedore having direct connection with the Port to handle the Thermal Coal. Taking into consideration all factors and the discussions held in the Meeting on 18.03.2016, the Levy has been reduced to 150% from 499% on Thermal Coal.

(iii). However, in view of the position recorded by TAMP in the said Order, the detailed case history of CHD and the circumstances/ necessity for imposing Levy is brought out hereunder for consideration of TAMP.

(a). The collection of levy on various cargoes from the employers is the only source of income for running in the CHD.

(b). The very purpose of collection of such levies by the erstwhile Visakhapatnam Dock Labour Board (VDLB) (present CHD) is to meet the expenditure being incurred towards administrative charges of Cargo Handling

Division as well as welfare activities/amenities provided to the employees and its workers. The CHD is running and surviving only with collection of such levies.

(c). The cost of operating the CHD shall be defrayed by payments made by the registered employers by way of such levy. Every employer shall have to pay such amount to the CHD by way of levies fixed from time to time for meeting such an expenditure.

(d). Further, as per the directions of the Ministry of Shipping, Govt. of India, the erstwhile VDLB i.e. present CHD resolved, vide Board Resolution No.36/2003, dated 30.07.2003, to operate on the principle of no profit no loss basis**.**

(e). The VDLB was merged with VPT w.e.f. 26.09.2008 by settlements arrived at under the Industrial Disputes Act, 1947 on 08.09.2008 and 11.09.2008 with the previous approval of the Ministry vide its letter dated 19.02.2008 which was in turn approved by the erstwhile VDLB Board, VPT Board and the Ministry of Shipping and notified in the Official Gazette of India.

(f). In the said merger settlement, it was agreed that CHD will be required to be self-sufficient one and its revenue will consist of bills raised on the registered stevedores. As far as collection of levy is concerned, it was also agreed that "the Dock Labour Board is collecting levy on the daily wage rate apart from recovery of daily wage rate payments made to the worker for the work chances provided to meet the cost of the Management and other welfare activities and therefore, agreed to continue to collect levies from the trade from the date of merger that are in vogue in VDLB for the workers supplied to meet the cost of management of CHD apart from recovery of daily wage rate payments made to the worker".

(g). The said merger settlements became final and the terms and conditions mentioned in the said merger settlements including collection of levy are to be followed scrupulously.

(h). In the light of the above, the existing system of collection of levy had been continued even after merger of VDLB with VPT. At the time of merger, general levy was collected on all cargoes including thermal coal and at the same percentage rate as for general levy, Piece Rate Levy on manual unloading of thermal coal operations was also collected in addition to the general levy.

(i). The Levy imposed by CHD and losses sustained by CHD before implementation of Scale of Rates, are tabulated below:

Financial year	Losses	General Levy %	Piece Rate Levy %
2005-06	(-) 2,28,44,526	95%	95%
2006-07	(-) 6,04,06,681	95%+20%+5%	95%
2007-08	(-) 12,79,18,831	95%+20%+5%	95%
2008-09 (1.4.2008 to 25.9.2008)	(-) 4,21,16,821	145%+39+5%	145%
2008-09 (26.9.2008 to 31.3.2009)	(-) 4,05,68,167	145%+39+5%	145%
2009-10	(-) 41,74,02,808	145%+39+5%	145%

(j). It may be seen from the above table that even after charging Levy at the rates mentioned above, CHD incurred losses. Further, reference is also invited to Merger Settlement wherein it was clearly agreed that CHD will be required to be self-sufficient. In the same agreement, it was also agreed to continue the collection of levy from the date of merger in vogue in VDLB. Since CHD is still incurring losses, collection of Piece Rate Levy at the same rate which was being charged previously has been continued to avoid financial losses in CHD.

(k). After merger, when the proposal for revision of Tariff was sent to TAMP, for revision of Tariff w.e.f. 01.03.2011, it was informed to TAMP by CHD that the piece rate levy on manual unloading of thermal coal is also required to be continued to be collected in addition to the general levy keeping in view the existing practice as well as provision made in the merger settlement approved by the Government and also keeping in view of the financial position of the CHD as well as Ministry's instructions on running of CHD on "no profit no loss basis".

(l). The TAMP communicated its orders dated 18.01.2011 and the same was circulated on 05.03.2011 to all the registered employers of CHD.

(m). It is pertinent to mention here that in response to the circular dated 05.03.2011 issued by CHD to all registered employers, M/s.SICL who is an Agent for TANGEDCO, Chennai has brought to the notice of the Management of CHD that CHD is collecting 234% PR levy on thermal coal operations. But, the Order dated 18.01.2011 specifies only 234% general levy which include thermal coal also. Therefore, again a corrigendum dated 17.03.2011 was given by VPT to all employers informing that the collection of levy on time rate wages will be continued as per the existing practice on all operations without any exceptions (i.e. on unloading of thermal coal manually) as per the percentage of tariff fixed by the TAMP duly referring the earlier circular dated 05.03.2011. Keeping in view the above reasons port continued to collect the said levy.

(n). The said fact of collection of 234% PR Levy exclusively on thermal coal operations in addition to the 234% general levy and 31% special levy has already been informed to the TAMP duly informing the circumstances.
[It can be seen from Para 3.1 above that this matter has been dealt while passing the Order dated 18 January 2011.]

(o). While the matter stood thus, i.e., in 2015 after a period of 4 and 1/2 years, the TANGEDCO has made a representation vide its letter dated 16 September 2015 requesting to stop collection of piece rate levy and to refund the same which was forwarded by TAMP vide its letter dated 24 September 2015. Thereafter, the TANGEDCO was informed vide VPT's letter dated 23 December 2015 cited that its request cannot be considered duly explaining the reasons for the same by marking a copy of the same to the TAMP. In the said letter, it was also informed to the TANGEDCO that the above factual position will also be brought to the notice of the TAMP once again in the ensuing revision of scales of rates and while submitting the proposals of CHD in the said ensuing revision of scale of rates, it will be worked out that rates for manual unloading of thermal coal will be more competitive.

(iv). Subsequently, a joint hearing on the general revision proposal was convened by TAMP in VPT on 18 March 2016 with the representatives of all Port Users including M/s.SICL and TANGEDCO. In the said meeting, it was decided to consider to reduce the said general levy and special levy from 265% to 150% w.e.f. 01.04.2016 and further resolved to dispense prospectively the 234% Piece Rate Levy being collected on Manual Unloading of Thermal coal operations w.e.f. 01.04.2016. In the light of the reduction of levy to 150% as well as dispensing 234% piece rate levy, it was also decided mutually by VPT and TANGEDCO to obtain the ratification / regularization for the same from TAMP by VPT.

(v). Thereafter, the VPT Board vide its Resolution No.266/2015-16, dated 30.03.2016 has resolved to reduce the general levy and special levy from 265% to 150% w.e.f. 01.04.2016 and further resolved to dispense prospectively the 234% Piece Rate Levy being collected on Manual Unloading of Thermal coal operations w.e.f. 01.04.2016 and the same is being implemented.

(vi). Subsequently, TAMP has communicated orders dated 08.08.2016 on revision of scale of rates which is effective from 01.04.2016. In the said orders, it was suggested by the TAMP that the VPT and TANGEDCO may, if necessary, come up with mutually agreed proposal to resolve the past matter disputed by TANGEDCO on collection of 234% piece rate levy.
[*The point made by VPT that the revised SOR was effective from 1 April 2016 is not correct. The revised SOR was made effective after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR in the Gazette of India on 22 July 2016*]

(vii). In this connection, it is pertinent to bring the following facts to the notice of Authority that the levy of 234% of the time rate wages was fixed by the Authority taking into consideration of the admissible estimated expenses and overheads relating to the CHD activity including the expenditure of CHD for handling of thermal coal and admissible return on the investment. Accordingly, the working for the financial year 2011-12 was done as per the levy rate fixed by the TAMP. As per the audited annual accounts which captures the PR levy at the rate of 234%, the year 2011-12 reports a deficit of `10,83,88,946/- in the CHD. (In the summary statement, the VPT has reported deficit of `10,18,60,157/- for the year 2010-11 which is as per its Income and Expenditure statement.)

(viii). This indicated that all the admissible administrative expenditure other than time rate wages paid to the workers are not properly accounted for while fixing the levy percentage. In order to maintain the Organization with no profit no loss basis, the percentage of existing levy of 234% on the deployment of workers for thermal coal handling operations, in addition to the collection of general levy was collected by VPT. This may off-set the estimated loss during the year 2011-12 and the procedure is to be continued in future years also in order to run the Organization with no profit no loss basis.

(ix). The main reason for collection of piece rate levy on thermal coal operations is, that the piece rate levy is being collected for the work rendered by the CHD beyond the norm fixed for the thermal coal operations. The norm was fixed at one wagon per shift per gang for which the time rate wages and the general levy are being collected and in case the operation exceeds more than a wagon per gang the applicability of piece rate levy may arise and consequently the piece rate levy is being collected. Keeping the above into consideration, as already informed earlier to the TAMP authorities, circular was issued to the Trade that the existing practice of collecting levy which includes the percentage levy on thermal coal will continue on all operations without any exception.

(x). In this connection, it is pertinent to state that even after continuing the levy of 234%, CHD has sustained losses as tabulated below:

(**in ₹**)

F.Y.	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	Total
Surplus / Deficit	(-) 10,18,60,157	(-) 7,52,23,416	(-) 11,53,59,739	13,54,50,743	13,98,02,908	(17,189,661)
Collection of PR Levy @ 234%	11,48,92,803	14,56,89,606	13,75,31,376	19,99,05,559 **	33,78,09,642	935,828,986
Total loss in the absence of PR / Levy	(-)21,67,52,960	(-)22,09,13,022	(-)25,28,91,115	(-)6,44,54,816**	(-)19,80,06,734	(-)95,30,18,647

(** *The VPT in the reply furnished on the comments of TANGEDCO has reported the PR levy at ₹19,99,05,559 which is captured instead of 11,99,05,559 considered by VPT which appears to be a typographical error by VPT.)*

(xi). It may be seen from the above table that even after charging 234% levy, CHD sustained losses in 2011-12, 2012-13, 2013-14 and made a meagre profit in 2014-15 and 2015-16. Had the levy not been collected by VPT, the accumulation losses for the period from 2011-12 to 2015-16 would have been `95.30 crores which was against the principle of origin of CHD, i.e., no profit no loss and also merger settlement notified by the Government.

(xii). The Circular was issued in March 2011, based on TAMP Order. As soon as the Circular was issued, M/s.SICL raised an issue of Levy and to charge only 234% + 31%. In view of that to clarify M/s.SICL and the Trade, a Corrigendum

dated 17.03.2011, was issued duly indicating that collection of levy on Time Rate Wages will be continued as per the existing practice on all operations without any exception as per the percentage of levy fixed by the TAMP. After the Circular was issued, M/s.SICL has been paying the charges without any protest. The VPT has reiterated that M/s.TANGEDCO is not having any direct relation to Port and M/s.SICL is the Stevedore handling the cargo of M/s.TANGEDCO.

(xiii). Though the piece rate levy is being charged by VPT, M/s.TANGEDCO has raised the issue only in the year 2015, i.e., after a lapse of 4½ years. M/s.SICL, who is the Stevedore handling major cargo of Thermal Coal, has been paying the charges without any contest or protest as they know the working of CHD and its operations and administration.

(xiv). Further, there is no protest / contest even from the Trade as regards the subject levy, since Stevedores are the employers of CHD and they know very well the operations and administration of CHD. Had there been any grievance, the Stevedores' Association would have represented the matter to TAMP then itself.

(xv). Having an understanding that there will be consensus, VPT proposed reduction of Levy to 150%.

(xvi). Taking into consideration the overall scenario, working/ operation of CHD, the purpose and essentiality of imposing Levy, etc., TAMP is requested to regularise the past Levy.

9. Thus, in short the VPT has made a request to this Authority to regularize the levy of 234% on piece rate collected by the VPT from 01.03.2011 till 31.03.2016.

10. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the VPT proposal dated 20 September 2016 was circulated to the concerned users/ user organisations viz. TANGEDCO, Visakhapatnam Stevedores Association and M/s.SICL seeking their comments vide our letter dated 14 October 2016. We have not received comments from any users/ user associations except TANGEDCO vide its letter dated 20 October 2016. The comments received from TANGEDCO was forwarded to VPT for their comments. The VPT has vide its letter dated 23 December 2016 responded to the comments of TANGEDCO subsequent to the joint hearing.

11. A joint hearing in this case was held on 21 October 2016 at the Office of this Authority in Mumbai. The VPT made a power point presentation of its proposal. The TANGEDCO has also made a power point presentation at the joint hearing. At the joint hearing, the VPT and users / user association have made their submissions.

12.1. At the joint hearing, TANGEDCO has submitted hard copy of its earlier comments dated 20 October 2016. While furnishing comments, TANGEDCO has also sought Balance Sheet alongwith workings and supporting documents for the year 2011-12 to 2015-16 for furnishing further comments.

12.2. The VPT vide our letter dated 3 November 2016 was requested to furnish the requisite documents, Income and Expenditure statement and Balance Sheet of CHD alongwith workings and supporting documents for the years 2011-12 to 2015-16 directly to TANGEDCO with a copy endorsed to this Authority immediately. The TANGEDCO was also requested to furnish its further comments, if any, to VPT and to this Authority after receipt of requisite documents from VPT. The VPT was to furnish its comments on the comments received from TANGEDCO immediately thereafter.

12.3. This was followed by reminders dated 23 November 2016 and 21 December 2016. The VPT vide its letter dated 23 December 2016 has, while furnishing its comments on comments of TANGEDCO, has also furnished Balance Sheet for the years 2011-12 to 2015-16 to TANGEDCO with a copy endorsed to this Authority. The TANGEDCO has not furnished its comments on the Balance Sheet of 2011-12 to 2015-16 sought by them and forwarded by VPT to TANGEDCO.

13. The VPT vide fax dated 20 January 2017 has again furnished copy of the Balance Sheet of CHD for the years 2010-11 to 2015-16 along with Income and Expenditure Statement for CHD for the same years.

14. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

15. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i). The proposal of Visakhapatnam Port Trust (VPT) is for ratification of piece rate levy @ 234% of time rate wages collected by VPT for manual unloading of thermal coal operation for the period from 1 March 2011 to 31 March 2016.

(ii). This proposal of the VPT flows from the matter referred by TANGEDCO while processing the general revision of SOR of VPT in June 2016. While processing the general revision proposal filed by VPT under Tariff Policy, 2015, TANGEDCO had pointed about the VPT collecting piece rate levy at 234% on time rate wages which does not have approval of this Authority. The TANGEDCO requested this Authority to direct VPT not to collect the PR levy. This has been dealt by this Authority elaborately in para 18 (xvii) (b) of the Order no.TAMP/9/2016-VPT dated 21 June 2016. In the said Order this Authority held that this Authority will not be in a position to ratify the action of the VPT and regularise the levy collected by the VPT which is not in line with the CHD levy approved and prescribed in the (then) existing SOR of VPT. The VPT and TANGEDCO may, if necessary, come up with a mutually agreed proposal to resolve the past matter disputed by TANGEDCO. It is in this backdrop, the VPT has filed the current proposal.

(iii). (a). Before proceeding with the analysis of the proposal filed by VPT, it is relevant to bring out the brief of the levy approved for Cargo Handling Division (CHD) by this Authority. The VPT first approached this Authority for fixation of rate for CHD in the year 2010 after the merger of the erstwhile Visakhapatnam Dock Labour Board (VDLB) with VPT reported in the year 2008. This Authority vide Order No.TAMP/26/2010-VPT dated 18 January 2011 approved the initial tariff for CHD levy for deployment of labour from CHD at VPT. As brought out in para 3.1 above, this Authority, based on the aggregate estimated deficit position reflected in the cost statement in the CHD for the years 2010-11 to 2013-14, had approved CHD levy of

234% on time rate wages for all cargo availing services of CHD including thermal coal. The note below the schedule 4.7.4.1 of the SOR stipulates that the CHD levy indicated in the schedule i.e. 234% on time rate wage is in addition to recovery of time rate wages and piece rates payable to workers as per the respective clauses of prevailing wage settlement / incentive scheme.

(b). During processing of the VPT proposal for fixation of CHD, which culminated into the Order dated 18 January 2011 as brought out in para 12(ix) of the said Order which is also reproduced in para 3.1 above, the port had stated that in case of workers deployed for the wagons unloading operations of thermal coal a separate levy at par with general levy in addition to general levy is being collected termed as Piece Rate (PR) levy as per the procedure in vogue at the time of the merger. Though it is termed as PR levy, the said levy is collected as percentage of time rate wages. The logic and the basis for collecting separate levy in the name of PR levy was not explained by the port then. The port had also not explicitly proposed PR levy on Thermal Coal in the proposal except stating that it will be collected as per the existing procedure without offering any other explanation. As per the cost statement, the levy to bridge the deficit in CHD worked out to 234% of the time rate wages which was prescribed by this Authority uniformly for all cargo availing the deployment of labour from the CHD including the thermal coal for wagon unloading operations. The position is explicit and there is no ambiguity in the said Order. There was no proposal from VPT to review the said Order at that point of time.

(iv). (a). Despite explicit position in the tariff Order of January 2011, the port has collected PR levy at 234% on time rate wages for thermal unloading operations. The said collection of PR levy by VPT does not have the approval of this Authority. When M/s.South India Corporation Ltd. (SICL) brought this to the notice of the port, the VPT issued a corrigendum dated 23 March 2011 to its earlier circular conveying trade that piece rate levy will continue to be collected as collected earlier on unloading thermal coal at 234% of time rate wages.

(b). Only during the processing of this case, the VPT has given the background for collection of PR Levy on thermal coal unloading operations. At the time of merger of Visakhapatnam Dock Labour Board (VDLB) (present CHD) with VPT, the port agreed that as per the (then) system in vogue, the entire administrative expenses including shortfall in pension / gratuity liability, management and welfare activity will continue to be collected from the employers of CHD i.e. Stevedores. As per the settlement every employer has to pay to the CHD by way of levy fixed from time to time for meeting the overall expenditure of CHD. For this purpose, Stevedores are the employers of CHD and they know very well the operations and administration of CHD. Thus, in short, as per the settlement, the Stevedores have to meet the entire expenses of CHD by way of levies. Accordingly, the VPT as per the system then in vogue has continued to collect the PR levy at par with the general levy for CHD at 234% on time rate wages beyond the January 2011 Order as well. TANGEDCO has raised the issue in the year 2015, after lapse of 4½ years.

(c). The piece rate is collected for work rendered by labour deployed from CHD to work over and above the norms fixed for thermal coal unloading operation. The norm fixed for thermal unloading operations is one wagon per shift per gang. For this time rate wages and the general levy are collected. In case the operation exceeds more than a wagon, and the operation is to be carried out in the second shift, then, another gang is to be deployed. This will entail charging another set of time rate wage and the accompanying general levy. As this procedure will be a burden to the trade, the Trade was allowed by the port the benefit of not deploying second gang for the 2nd wagon and continue the unloading operations for the second wagon with the same gang against payment of Piece Rate levy. As a result, the erstwhile DLB was to be paid only to the extent of the PR Levy on the 2nd wagon instead of time rate wages and levy thereon for deployment of second gang for the 2nd wagon in the second shift. It was in this context, the VPT has reportedly collected PR Levy for thermal unloading operations.

(d). The basis of PR Levy now furnished by the port was not brought out by VPT at the time of processing its proposal in January 2011 nor did the initial proposal of VPT for fixation of levy for CHD seeking approval of this Authority for PR Levy. The port is well aware that as per the statute, the port can collect the tariff for services rendered on notification of the rate by this Authority. The Port, however, without approval of this Authority has collected piece rate levy since the year 2011 till March 2016 and a fait accompli situation is placed before this Authority to ratify the action of the port of collecting PR levy for the period 1.3.2011 to 31.3.2016.

(v). In the Order of June 2016, this Authority had advised VPT and TANGEDCO to come with a mutually agreed proposal to resolve this matter relating to past period disputed by TANGEDCO. However, it is seen that in the current proposal both the VPT and TANGEDCO have divergent views. TANGEDCO has sought refund of the piece rate levy collected by VPT since 1 March 2011 till 31 March 2016 on the ground that PR levy was not approved by this Authority. The VPT has requested this Authority to regularise/ ratify the collection of piece rate levy for the period from 1 March 2011 till 31 March 2016. The VPT has confirmed that from 1 April 2016 it has stopped collecting Piece Rate Levy on thermal coal unloading operations.

(vi). Since VPT and TANGEDCO in the current proposal have not filed a mutually agreed proposal to resolve the matter referred by TANGEDCO, the proposal is before this Authority to take a decision on this matter. The cost statement estimates considered in the Order dated 18 January 2011 for CHD pertains to the years 2010-11 to 2013-14. The port has now furnished a summary of the actual financial position for the years 2011-12 to 2015-16 of the CHD. Since the proposal filed by the port is for ratification of the action taken by the port on PR levy collected by the port for the period from 1 March 2011 till 31 March 2016, and recognising that the position brought out by VPT that as per the agreement the Stevedores have to meet the entire expenses of CHD by way of levy, this Authority decides to dispose the proposal based on the actual financial position of CHD for the years 2011-12 to 2015-16 as contained in the summary position furnished by the port and modified only with reference to exclusion of the interest income as it is not allowed in the fixation of tariff. The modified summary statement is attached as **Annex**.

It can be seen from the summary statement furnished by the VPT attached as **Annex**, the aggregate net deficit for the years 2011-12 to 2015-16 as per the Audited Income and Expenditure Statement is ₹1.719 crores. This deficit captures the PR levy collected by the VPT at 234% of the time rate wages which is `93.58 crores reported by the VPT for the corresponding period. The VPT has reported in the summary position aggregate net deficit of ₹95.30 crores had the VPT not collected the said PR levy. The summary position furnished by VPT is modified to the extent of exclusion of interest income reported in the Income and Expenditure Statement furnished by the VPT. It is relevant to state that the above net deficit is before considering 16% ROCE.

(vii). Considering the actual position of the CHD that it would have been in deficit to the tune of ₹102.57 crores for the period 2011-12 to 2015-16, had the VPT not collected the Piece Rate levy, the action of the VPT of collecting Piece Rate levy at 234% of time rate wages for thermal unloading operations from 1 March 2011 to 31 March 2016 deserves ratification. The VPT is advised to refrain from levying tariff without approval of this Authority and then place a fait accompli situation before this Authority to ratify the action of the port.

To the point raised by TANGEDCO about implementation of manning scale, the VPT has confirmed that manning scale is implemented in VPT in the year 2010 to improve operational efficiency and to reduce per tonne cost and to stand in competition with neighbouring port. The port also plans to introduce Voluntary Retirement Scheme in CHD, shift workers to other department and to mechanise few operations which will overall improve productively and reduce the per tonne cost.

(viii). The TANGEDCO has stated that it has paid an amount of ₹1267.49 crores to SICL from 2011 to 2016 towards piece rate levy on time rate wages (₹461.76 crores), time rate levy (₹461.76 crores) on time rate wages and special levy of ₹61.17 crores. The aggregate of the breakup given by TANGEDCO works out to only `984.69 crores as against ₹1267.49 crores. This is between TANGEDCO and SICL.

16. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority disposes of the proposal of VPT by regularising the PR levy collected by VPT on thermal coal unloading operations for the past period from 1 March 2011 to 31 March 2016.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.–III/4/Exty./03/17]

Annex

Summary of the Net Deficit in the Cargo Handling Division of the VPT as furnished by the VPT and modified by TAMP

Amount in Rupees

Sl. No.	Particulars	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	TOTAL
(i).	Surplus/ (Deficit) as per the Annual Accounts	**(10,18,60,157)**	**(7,52,23,416)**	**(11,53,59,739)**	**13,54,50,743**	**13,98,02,908**	**(1,71,89,661)**
(ii).	Income received from levying Piece Rate Levy at 234% as furnished by the VPT	11,48,92,803	14,56,89,606	13,75,31,376	19,99,05,559	33,78,09,642	**93,58,28,986**
(iii).	Net Surplus/ (Deficit) if Piece Rate Levy at 234% collected by the VPT is excluded from the net surplus/ deficit position [(i) - (ii)] - **As furnished by VPT**	**(21,67,52,960)**	**(22,09,13,022)**	**(25,28,91,115)**	**(6,44,54,816)**	**(19,80,06,734)**	**(95,30,18,647)**
(iv).	Less: Interest income not allowed (by TAMP)	12915123	11237317	14759668	15090251	18733687	72736046
(v).	Net Surplus/ (Deficit) if Piece Rate Levy at 234% collected by the VPT is excluded from the net surplus/ deficit position [(i) - (ii)] - **As furnished by VPT and modified by TAMP**	**-229668083**	**-232150339**	**-267650783**	**-79545067**	**-216740421**	**-1025754693**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.20 11:01:13 +05'30'